



बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
4 ब्लॉक, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना

मुस्लिम परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

(आवेदन पत्र 2018–2019)

आवेदन क्रमांक (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा).....

1. आवेदिका का नाम (साफ अक्षरों में)
मोबाइल सं0
2. पता: ग्राम / मोहल्ला / वार्ड:-
पो0....., थाना..... प्रखण्ड.....
जिला....., पिन कोड.....
3. परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला की जिस व्यक्ति से शादी हुई थी उसका नाम एवं पता/अपंगता के कारण परित्यक्ता
महिला के पति का नाम एवं पता.....
- (यदि पति के पूर्ण मानसिक अपंगता के कारण महिला परित्यक्ता है तो इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित जिला के
सिविल सर्जन से निर्गत संलग्न करें)।
4. परित्यक्ता/तलाकशुदा के पिता/माता नाम एवं पता.....
5. जन्म तिथि.....
6. परित्यक्ता/तलाकशुदा होने की तिथि.....
7. आयु आवेदन की तिथि से..... वर्ष..... महिना.....दिन
8. परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला की बैंक खाता विवरणी :-
बैंक का नाम..... खाता संख्या (स्वयं का)आई0एफ0एस0सी0संख्या.....
9. आधार संख्या.....
10. वार्षिक आयः—.....

: स्व-घोषणा :

मैं घोषणा करती हुँ कि मेरे द्वारा उपर दी गई सभी जानकारी सही है। मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं
की है। इस योजना अन्तर्गत मुझे पूर्व में राशि प्राप्त नहीं हुई है।

1. पहले गवाह का नाम (जो सगा रिश्तेदार न हो).....
पता.....
मोबाइल नं0.....
2. दूसरे गवाह का नाम (जो सगा रिश्तेदार न हो)
पता.....
मोबाइल नं0.....

स्थान..... दिनांक.....

(आवेदिका का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान)

(अंगूठा निशान की स्थिति में, प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले आधिकारी/जन प्रतिनिधि, द्वारा अभिप्राप्त होगा)

आवेदन प्राप्ति रसीद

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

आवेदन क्रमांक..... नाम..... पिता का नाम.....

पता :—.....

मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु आवेदन प्राप्त किया।

तिथि :—.....

स्थान :—.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम)

स्वप्रमाणित
रंगीन फोटो

परित्यक्ता/तलाकशुदा प्रमाण पत्र/अनुशंसा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पिता.....

....., पता:- ग्राम/मुहल्ला

.पो., जिला..... की शादी दिनांक—.....

को हुई थी। वर्तमान में आवेदिका श्रीमती..... परित्यक्ता/तलाकशुदा है एवं
इनके जीवन यापन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।

हस्ताक्षर

(निर्गत करने वाले का नाम, पदनाम एवं मुहर)

स्थान

दिनांक.....

अनुलग्नक:-

- (क) पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति जिसमें आवेदिका का नाम, खाता संख्या, एवं IFSC Code साफ
साफ अंकित हो।
- (ख) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- (ग) आय प्रमाण की मूल प्रति (अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत)
- (घ) आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/मैट्रिक अथवा समकक्ष का सर्टिफिकेट/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/
कार्यपालक दण्डाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र में से कोई एक)
- (च) परित्यक्ता/तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र/अनुशंसा पत्र।

(प्रमाण पत्र/अनुशंसा पत्र निम्न में किसी एक से प्राप्त किया जा सकता है:- (i) जनप्रतिनिधि :-
संबंधित मुखिया/सरपंच/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के संबंधित वार्ड के निर्वाचित
प्रतिनिधि/प्रखण्ड प्रमुख/पंचायत समिति के सदस्य/विधान मंडल के सदस्य/सांसद (ii) न्यायालय,
सरकारी संस्था, कार्यालय के पदाधिकारी :- परिवार न्यायालय/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/
अंचलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/अनुदानित मदरसा के हेड मोदरिस/सरकारी स्कूल
एवं कॉलेज के प्रधानध्यापक/राज्य अथवा केन्द्र सरकार के राजपतित्र पदाधिकारी (iii) राज्य के जिला
मुख्यालयों में अवस्थित मुस्लिम समुदाय की मानक/निबंधित संस्थान/जिला औकाफ कमिटी के
सचिव/निबंधित वक्फ के मोतवल्ली)

नोट :- आवेदन विहित प्रपत्र में देना होगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा अनुशंसा प्रमाण पत्र का नमूना संबंधित जिला
अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से अथवा www.minoritywelfare.bih.nic.in वेबसाइट
से प्राप्त किया जा सकता है। टॉल फ़ी फोन न0-18003456123